पाकुड़ समाहरणालय

(e-mail : ddc-pak@nic.in, Telephone No.: 06435-222173)

(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक–06.05.2020 को विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, निलाम्बर–पिताम्बर जलसमृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, CSOs के प्रतिनिधि यथा – DPM & DLM, JSLPS एवं DM, ASA को योजनावार निम्नलिखित निदेश दिये :–

01. कोविड–19 से उत्पन्न Social Distress को कम करने में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के महत्व को देखते हुए मनरेगा कर्मियों को मनरेगा योजना से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में कम से कम प्रतिनियुक्त किया जाय, ताकि मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

02. पूर्व में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता के मद्देनजर मनरेगा के तहत् कुल व्यय का कम से कम 75% व्यय NRM से संबंधित योजनाओं पर किया जाना है, लेकिन MIS में परिलक्षित प्रतिवेदन के अनुसार जिलों द्वारा NRM से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, इस पर प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा खेद व्यक्त किया गया।

    सभी जिलों को निदेश दिया गया कि पर्याप्त संख्या में बिरसा हरित ग्राम योजना, निलाम्बर–पिताम्बर जल समृद्धि योजना आदि से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल व्यय का कम से कम 75% व्यय NRM से संबंधित योजनाओं पर करना सुनिश्चित करें।

    अधिकाधिक NRM योजनाओं को प्राथमिकता के रूप में मानव दिवस सृजन हेतु क्रियान्वित करेंगे।

03. राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई तीन नई योजनाएँ यथा– बिरसा हरित ग्राम योजना, निलाम्बर–पिताम्बर जलसमृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत नियमानुसार योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दो दिनों के अन्दर रिकार्ड तैयार कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

    उपरोक्त योजनाओं से संबंधित विस्तृत प्रस्तुतीकरण सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही सभी योजनाओं का मानक प्राक्कलन भी उपलब्ध करा दिया गया है। जिसके अनुरूप ही योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

04. प्रखण्ड अंतर्गत वैसे पंचायत जिनमें मनरेगा योजनाएँ नहीं ली गई है। उन पंचायतों को चिन्हित कर उपरोक्त तीनों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाय।

05. यह सुनिश्चित किया जाय कि जिलान्तर्गत पंचायतों के प्रत्येक गाँव में कम से कम पाँच योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हो।

06. मनरेगा मार्गदर्शिका के विपरीत कई जिलों में E-MR Issue किये बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, इस पर खेद व्यक्त करते हुए प्रधान सचिव द्वारा हिदायत दी गई कि किसी भी परिस्थिति में मनरेगा एक्ट का उल्लंघन करते हुए E-MR Issue किये बिना कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

यह भी सुनिश्चित किया जाय कि नियमानुसार छः दिनों की उपस्थिति दर्ज करते हुए हर हाल में सातवें दिन E-MR प्रखण्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।

07. इस विषय पर खेद व्यक्त किया गया कि कई बार MIS प्रतिवेदन में परिलक्षित होता है कि प्रखण्ड अंतर्गत कुछ पंचायतों में एक भी कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ है।

08. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन प्रखण्ड अंतर्गत सभी पंचायतों में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला अंतर्गत पंचायतों के सभी गाँव में ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाय, ताकि चालू योजनाओं की संख्या अधिक से अधिक हो।

09. पाकुड़ जिला को विशेष रूप से निदेशित किया गया कि निलाम्बर–पिताम्बर जल समृद्धि योजना अंतर्गत नाला पुर्नजीवन कार्य (गाद की निकासी) पर विशेष ध्यान देकर क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।

10. बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत मई माह में गडढ़ा खुदाई एवं फैन्सींग का कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रति 05 एकड़ में एक बागवानी मित्र की नियुक्ति की जाय।

11. बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत सामग्री क्रय करने हेतु निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

12. रैखिक वृक्षारोपण (Linear Plantaion) के लिए वन विभाग से पौधा लिया जा सकता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

8/5/2020

उप विकास आयुक्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक : 142 **/मनरेगा, दिनांक :** 08.05.20

प्रतिलिपि : संबंधित CSOs/NGOs, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, पाकुड़ जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, पाकुड़ जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

8/5/2020

उप विकास आयुक्त,
पाकुड़।

Scanned by CamScanner